संख्या-3210(1)/33-1-2023

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-1

लखनकः दिनाँक : 14 नवम्बर, 2023

विषय:— उ०प्र० पंचायत राज विभाग (समूह—क और ख) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० पंचायत राज विभाग (समूह—क और ख) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 की 100 प्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संशोधित नियमावली को पंचायतीराज विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

2905-2

11/11/23

भवदीय (जय प्रकाश पाण्डेय)

संयुक्त सचिव।

F DE COUNTY THE TO HER THE (fs)

कारिय (तक्सीकी) न से जिस्होन मही के प्रथम दिवस को इस रूप ने वा वर्ष

FIGURE OF THE THEFT WE'VE



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम)

> लखनऊ, बुधवार, 8 नवम्बर, 2023 कार्तिक 17, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन मध्री मह त्रिष्टिती के हिल्पंचायती राज अनुभाग—1 एक जामकी 23-(2) दश जिस्सावासे के प्रारंभ के अस्थ

क स्थाप के सिवायिको के प्राप्त के सम्बद्ध वेस्त्यान विका एका दिए गये संख्या 3119/33-1-2023-3197-2010 लखनऊ, 8 नवम्बर, 2023

> अधिसूचना प्रकीर्ण

सा0प0नि0-39

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह 'कं' और 'ख') सेवा नियमावली, 2004 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह 'क' और 'ख') सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह 'क' और 'ख') सेवा संक्षिप नाम और (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह 'क' और 'ख') सेवा नियमावली, 2004 नियम 5 का संशोधन जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नियम-5 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :- अवस्य अर्थात

स्तम्भ-1 वर्तमान उप नियम

भर्ती का स्रोत-

(4) जिला पंचायत राज अधिकारी-(एक) पचास प्रतिशत, आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) तैंतालिस प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत सह शिक्षा) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(तीन) पॉच प्रतिशत, मौलिक रूप से नियक्त ऐसे सहायक जिला पंचायत राज अधिकारियों (तकनीकी) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(चार) दो प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पंचायत निरीक्षकों (उद्योग) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

भर्ती का स्रोत-

(4) जिला पंचायत राज अधिकारी-

(एक) पचास प्रतिशत, आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) तैंतालिस प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर जिला पंचायत राज अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(तीन) पाँच प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर जिला पंचायत राज अधिकारियों (तकनीकी) में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(चार) दो प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर जिला पंचायत राज अधिकारियों (उद्योग) में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति

नियम 23 का संशोधन

8-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये विद्यमान उप नियम 23(2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :--

स्तम्भ-1

23-(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्न प्रकार दिए गये 善:-

页。	पद का	वेतन मान			
ŧiο	नाम	वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश वेतन बैण्ड (रु०)	तत्सदृश ग्रेड वेतन (रु०)	
1.	जिला पंचायत राज अधिकारी	वेतन बैण्ड—3	15600— 39100	5400/-	
2.	उप निदेशक (पंचायत)	वेतन बैण्ड-3	15600— 39100	6600/-	
3.	संयुक्त निदेशक (पंचायत)	वेतन बैण्ड-3	15600— 39100	7600/-	
4.	अपर निदेशक (पंचायत) मुख्यालय पंचायती राज, लखनऊ, उ०प्र०	वेतन बैण्ड-4	37400— 67000	8700 / -	

स्तम्भ-2

विद्यमान उप नियम एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम 23-(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार दिए गये

क्र _० सं0	पद का नाम	वेतन मैट्रिक्स	
1.	जिला पंचायत राज अधिकारी	लेवल–10	₹0 56,100— 1,77,500
2.	उप निदेशक (पंचायत)	लेवल-11	₹0 67,700— 2,08,700
3 .	संयुक्त निदेशक (पंचायत)	लेवल-12	₹0 78,800— 2,09,200
n rese Tomas Tomas Turnes	अपर निदेशक (पंचायत) मुख्यालय पंचायती राज, लखनऊ, उ०प्र०	लेवल-13	₹0 1,23,100– 2,15,900

आज्ञा से, मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।

CALLERY OF 25 (Partillaget Ray 2 Mysocates) data 28



Amendment of rule 23

8. In the said rules for existing sub-rule 23 (2) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN- 1

Existing Sub-rule

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows:-

S.N.	Name of the post	Scale of pay		
t, fin u Kaj		Name of the Pay Band	Corresponding Pay Band (Rs.)	Corresponding Grade Pay (Rs.)
(1)	District Panchayet Raj Officer	Pay Band-3	15600-39100 CHARIMEN	5400/- O LASETA
(2)•	Deputy Director (Panchayat)	Pay Band-3	15600-39100	6600/-
(3)	Joint Director (Panchayat)	Pay Band-3	15600-39100	7600/n
(4)	Additional Director (Panchayat) Head Office Panchayati Raj U.P. Lucknow	Pay Band-4	37400-67000	8700/- reserve pod olar fine se o toe olar-c

Sub-rule as hereby substraited

It hity reacent by direct convicted

H. Lear times percent by prometeon

through the Commission from sman

District Paradayar Raj Officers who laws

completed two years sorvice as such on the first day of the year of accountment.

III five percent by promotion amongst

substantively appointed Additional

who have completed awayears sended as

underselve competitive examination

(4) Distinct Panchavat Rai Officer-

conducted by the Commission.

substantively appointed

COLUMN-2

Sub-rule as hereby substituted

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows:-

S.N.	Name of the post	Pay Matrix	
(I)	District Panchayat Raj Officer	Level-10	Rs. 56,100- 1,77,500
(2)(2)	Deputy Director (Panchayat)	Level -11	Rs. 67,700- 2,08,700
(3)	Joint Director (Panchayat)	Level-12	Rs. 78,800- 2,09,200
(4)	Additional Director (Panchayat) Head Office Panchayati Raj U.P. Lucknow	Level -13	Rs. 1,23,100- 2,15,900

By order,
MANOJ KUMAR SINGH,
Apar Mukhya Sachiv.

(4) District Panchayat Raj Officer

I fritty percent by direct requirment

through the Commission from atturned

substantively appointed Assistant

Development Officers (Panchayat com-

veers service as such on the first day of

notiomorg ve moroen syst III

descript the Commission from amongst

distributed boungers yearlingtering

completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

631 KFH 2028 (Parchayati Raje 2 Riyamayali) data 7e

the year of recruitment.

District Perchayat District Panalayon Ray Officers (Technical) who have dompleted two Technical) who have completed five veers service as such on the first day of years service as such on the first day of the year of recruitment. IV. Two percent by promotion fv. Two recent by premetion through the Commission from amongst depught the Commission from amongst Pancheyar substantively appointed Assetoma visvinguedus District Pancleyat Ray Officers (Udyou) ovad odw (gegl.);

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 631 राजपत्र-2023-(1910)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 13 सा० पंचायतीराज-2023-(1911)-686 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)। IN Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is Pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3119/XXXIII-1-2023-3197-2010, dated November 8, 2023:

No. 3119/XXXIII-1–2023-3197-2010

Dated Lucknow, November 8, 2023

IN exercise of the powers conferred by the provisio to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Panchayat Raj Department (Group "A" and "B") Service Rules, 2004.

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT (GROUP "A" AND "B") SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2023

1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Panchayat Raj Department (Group "A" and "B") Service (Second Amendment) Rules, 2023.

Short title and commencement

(2) They shall come into force at once.

2. In the Uttar Pradesh Panchayat Raj Department (Group "A" and "B") Service Rules, 2004, hereinafter referred to as the said rules, in rule-5, for existing sub-rule (4) set out in column-1 below, the sub-rule set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Amendment of rule 5

COLUMN-1

Existing Sub-rule

(4) District Panchayat Raj Officer-

Payerlater

I. Fifty percent by direct recruitment through the competitive examination conducted by the Commission.

II. Forty-three percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Assistant Development Officers (Panchayat-com-Education) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

III. Five percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Assistant District Panchayat Raj Officers (Technical) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

IV. Two percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Panchayat Inspectors (Udyog) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

COLUMN- 2

Sub-rule as hereby substituted

(4) District Panchayat Raj Officer-

 Fifty percent by direct recruitment through the competitive examination conducted by the Commission.

II. Forty-three percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Additional District Panchayat Raj Officers who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment.

III. Five percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Additional District Panchayat Raj Officers (Technical) who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment.

IV. Two percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Additional District Panchayat Raj Officers (Udyog) who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment.